न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– श्री कपिल कुमार (आर.ए.एस.)

| प्रार्थना पत्र संख्या | जीसीएमएस संख्या | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 12 / 2025 | 2025 / 337 | 02.07.2025 | 21.07.2025 |

**उनवान**

सुरजन सिंह पुत्र बनेसिंह जाति राजपूत निवासी सीमावता कारोली तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड।

**प्रार्थी**

**बनाम**

तहसीलदार पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़

**अप्रार्थी**

## प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी

1. प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत के द्वारा प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी निम्नानुसार पेश है कि आराजी खसरा नम्बर 1176 / 2081 / 1.04 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा सीमावता प0ह0 कारोली तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 1176 / 2081 / 1.04 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा सीमावता प0ह0 कारोली तहसील पावटा के सम्पूर्ण हिस्से के प्रार्थी मुताबिक जमाबन्दी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है। जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना–पत्र है।

2. प्रार्थी की उक्त आराजी खसरा नम्बर 1176 / 2081 / 1.04 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा सीमावता प0ह0 कारोली तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान से लगती अन्य भूमि के खातेदार काश्तकार आये दिन ताकत के बल पर प्रार्थी की उक्त आराजी भूमि की डोल वगैरह तोड़ देते है, फसल नष्ट कर देते है तथा प्रार्थी की आराजी को अपनी आराजी में मिलाने पर उतारु है। प्रार्थी द्वारा समझाने पर नही मान रहे है, मरनें–मारनें पर आमादा है। इसलिए प्रार्थी की उक्त आराजी खसरा नम्बर 1176 / 2081 / 1.04 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा सीमावता प0ह0 कारोली तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान की पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायसंगत है।

3. प्रार्थी नें पूर्व में अपनी उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान दिनांक 21.06.2025 को करवाया जा चुका है। प्रार्थी ने अपनी उक्त आराजी भूमि की पत्थरगढ़ी करने हेतु अप्रार्थी तहसीलदार पावटा को कहा तो तहसीलदार पावटा ने सक्षम न्यायलय में प्रार्थना–पत्र पेश करने हेतु कहा। इसलिए प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थना –पत्र अन्दर मियाद निर्धारित न्यायशुल्क पर पेश है। आराजी विवादास्पद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना–पत्र सुनने व तैय करने का अधिकार है।

4. अतः प्रार्थना–पत्र गय शपथ पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1176 / 2081 / 1.04 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा सीमावता प0ह0 कारोली तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान की पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओ का निश्चयीकरण विधि की व्यवस्था में निर्धारित प्रकिया से कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है ताकि अपनी भूमि का सही रूप से उपयोग कर सकें।



उपखण्ड अधिकारी
पावटा (जिला–कोटपूतली बहरोड़)

5. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पैरोकार से जवाब लिया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रकरण को दि. 21.06.2025 के अनुसार हुए सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी के आदेश पारित करने हेतू निवेदन किया। हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में पाया गया कि प्रश्नागत आराजीयात का दिनांक 21.06.2025 को सीमाज्ञान किया गया है तथा प्रार्थी अपने सुखाधिकार एवं भूमि की रक्षा व सींव डोल की सुरक्षा हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है ।

6. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पावटा को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1176/2081/1.04 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा सीमावता प0ह0 कारोली तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान का दिनांक 21.06.2025 को हुये सीमाज्ञान/सीमांकन के मुताबिक यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो नियमानुसार फीस जमा करवाकर पत्थरगढ़ी करवावे। एवं पत्थरगढी के आदेश के माध्यम से किसी भी प्रकार की बेदखली की कार्यवाही नही की जावे। तदानुसार आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.07.2025 को सरै इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल कुमार, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड)